डालूराम आदि बनाम बवरीराम आदि

08-01-2025

अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी ने प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश में पक्षकार नहीं थे एवं अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने के साथ धारा 96 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। वादगत भूमि स्माल पेच आवंटन श्रेणी की भूमि है एवं अपीलांट वादगत भूमि का चिपता काश्तकार नहीं होने से अपीलांट वादगत भूमि से व्यथित एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से एवं अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थी की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधिवत रूप से किया गया है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादगत भूमि के आवंटन हेतु प्रथम वरीयता का काश्तकार था जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य किसी काश्तकार को नोटिस प्रदान नहीं किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत भूमि का आवंटन किया गया है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त आवंटन पश्चात समस्त राशि भी जमा करवा दी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादगत भूमि पर काबिज काश्त है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में राजस्व रिकोर्ड में भी अंकन किया जा चुका है। चूंकि वादगत भूमि का नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ही वादगत भूमि पर काबिज काश्त है जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में साबित है एवं यदि आवंटित भूमि का सुधार करने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वंचित किया जाता है तो उसकी अपूरणीय क्षति भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ही कारित होनी है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आरबीजे 2021 पेज 191 के न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अभिभाषक अपीलांट ने प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने प्रस्तुत अपील के अपील मीमो में धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति चाही गई है। अपीलांट के धारण में जो खातेदारी भूमि है वो वादगत भूमि के समीपस्थ मुरब्बे में स्थित है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है उक्त रिपोर्ट के साथ में नजरी नक्शा शामिल है उक्त नक्शे में अपीलांट का नाम अंकित है। अपीलांट की भूमि भी उसी मुरब्बे में स्थित है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने की मांग कर रहे है जो विधिसंगत नहीं होने से प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्राथमिक आपत्ति खारिज की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट वादगत भूमि के आवंटन हेतु समान वरीयता रखता था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत भूमि का आवंटन कर दिया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया। यदि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की वरीयता समान थी तो वादगत भूमि का आवंटन जरिये नीलामी किया जाना था जिससे राजकोष को फायदा पहुंचता। यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादगत भूमि को आगे किसी को विक्रय कर देता है तो अपीलांट के अपील प्रस्तुत किये जाने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः वादगत भूमि की सुरक्षा एवं संरक्षणा हेतु एवं वाद बाहुल्यता को कम करने के लिए वादगत भूमि के मौका रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

उपस्थित अभिभाषकगण को प्राथमिक आपत्ति एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये स्माल पेच आवंटन के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह जाहिर है अपीलांट ने अपील मीमो के पैरा संख्या 8 में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही है जिससे अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की लॉकस स्टेण्डाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की छूट प्रदान की जाती है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट के लॉकस स्टेण्डाई का जहां तक प्रश्न है अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है वो स्माल पेच आवंटन का आदेश है। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत भूमि का स्माल पेच आवंटन किया है। स्माल पेच आवंटन के नियमों में यह स्पष्ट है कि स्माल पेच आवंटन उन्हीं काश्तकारों को किये जायेंगे जो अराजीराज छोटे टुकडो से चिपते हुए होंगे। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट में नजरी नक्शा बनाया गया है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 वादगत भूमि के चिपते काश्तकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये जाने की सहमति प्रस्तुत की है। जिससे वादगत भूमि को आवंटन करवाने हेतु योग्य काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 था। अपीलांट की भूमि अराजी जैर से चिपती भूमि नहीं होने से अपीलांट अराजी जैर से हितबद्ध एवं प्रभावी पक्षकार होना साबित नहीं होता है। लिहाजा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति बाबत लॉकस स्टेण्डाई स्वीकार की जाती है एवं अपील अपीलांट अराजी जैर से हितबद्ध एवं प्रभावी पक्षकार नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफतर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर